न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम वर्मा (आरएएस)

प्रकरण संख्या :–

1. पृथ्वीराज पुत्र गणेशाराम जाति जाट साकिन मिर्जेवाला तहसील व जिला श्री गंगानगर।

प्राथी

बनाम

1. नक्षत्रराम पुत्र समदित्ता जाति हरिजन साकिन 2 एमएलडी–ए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार राजस्व घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

उपस्थित :–

1. श्री बजंरगलाल बाबत प्रार्थी की ओर से।
2. पेरोकार राज अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट

:: **निर्णय** :: दिनांक :– 12.05.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार प्रार्थीगण के नाम तहसील घड़साना के चक 2 एमएलडी ए का प0न0 66/48 का कि0न0 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17 ता 24 का कुल 3.542 है0 रकबा. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी संलग्न है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम से तहसील घड़साना के चक 2 एमएलडी एम का मु0न0 66/48 के कि0न0 1 ता 6, 10, 11, 15, 16, 25 का कुल 2.783 है0 रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी संलग्न है। प्रार्थी को अपने उपरोक्त रकबा में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं0 1 के कि0न0 1, 10, 11 में से एक–एक बिस्वा चालू रास्ता है जिसमें से प्रार्थी अपनी भूमि में आता जाता है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 उक्त चालू रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु सहमत थे जिसमें यह शर्त तय की गई थी कि प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 को अपनी भूमि के कि0न0 1, 10, 11 में चालू रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 को अपनी भूमि के कि0न0 7, 8, 9 में 0.013–0.013 है0 भूमि कि0न0 2, 3, 4 के चिपती हुई अप्रार्थी सं0 2 को देगा एवं इसके लिये दोनों पक्षकारान ने शपथ पत्र लिखवाये थे लेकिन अब प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 को उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु निवदेन किया तो अप्रार्थी सं0 1 उक्त शर्तों अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाने से इन्कार हो गया इसलिये प्रार्थी द्वारा उक्त चालू रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं0 1 की भूमि कि0न0 1, 10, 11 में